# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला भिण्ड

प्रकरण कमांक रिव्यू 787–दो / 15

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-6-15 | यह रिव्यू म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के अपील प्रकरण क. 3525–एक / 12 में पारित आदेश दिनांक 19–03–2015 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।<br><br>2/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक व्दारा राजस्व मण्डल के अन्तरिम आदेश के विरूध्द रिव्यू आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि अपील / निगरानी प्र0क0 3525–एक / 12 का अंतिम निराकरण इस न्यायालय व्दारा किया जा चुका है, इसलिये रिव्यू आवेदनपत्र प्रभावहीन होने से नस्तीबध्द किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।<br><br>(एम0 के0 सिंह)<br>सदस्य | |

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक /2015 जिला--भिण्ड

रिव्यू 787-II-15

भानूप्रताप सिंह पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह निवासी शंकर टायर ट्रेडिंग की दुकान, लश्कर रोड, भिण्ड (म.प्र.)

-- आवेदक

श्री दिवाकर दीक्षित एड. द्वारा आज दि. 15-4-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा – स्टाम्प कलेक्टर, जिला भिण्ड (म.प्र.)
2. अनिल कुमार सिंह पुत्र अजयसिंह
3. सुनील कुमार सिंह पुत्र अजयसिंह
4. राजेशसिंह पुत्र अजयसिंह भदौरिया,
5. मुकेशसिंह पुत्र अजयसिंह भदौरिया,
   निवासीगण भदावर कॉलोनी, भिण्ड, जिला भिण्ड (म0प्र0)
6. उमेश समाधिया पुत्र रामकिशन समाधिया, निवासी ग्राम पिडोरा, हाल निवास शास्त्रीनगर, भिण्ड(म0प्र0)

-- अनावेदक

**माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 3525/I/2012 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नविलोकन।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर यह पुर्नविलोकन निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश में वैधानिक त्रुटि रह गयी है, जिनके कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नविलोकन किये जाने योग्य है।